संख्या- 1638 /15-7-06-16(74)/2007

प्रेषक,

सदानन्द,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊः दिनांकः 01 नवम्बर ,2007

विषय :- लक्ष्य पब्लिक स्कूल पाली बागपत को सी0बी0एस0 ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।
(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

N.O.C

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(सदानन्द)
अनु सचिव।

पृ०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत।
4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखनऊ ।
5- प्रबंधक, लक्ष्य पब्लिक स्कूल पाली बागपत ।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सदानन्द)
अनु सचिव।

N.O.C

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल मेरठ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड
लखनऊ।

पत्रांक/अर्थ/ /2007–08 दिनांक : 14-6-07

विषय :– लक्ष्य पब्लिक स्कूल ग्राम पाली, बागपत को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु उत्तर प्रदेश शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 दिल्ली से सम्बद्धता हेतु उत्तर प्रदेश शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रकरण पर विद्यालय का दिनांक 30–04–2007 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

विद्यालय की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्नकों सहित दो प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– स्थलीय निरीक्षण आख्या
दो प्रतियों में।

भवदीय,

(वी0के0 सक्सेना)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या/अर्थ/2116-17 /2007–08 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबन्धक, लक्ष्य पब्लिक स्कूल ग्राम पाली, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14.6.07

(वी0के0 सक्सेना)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल मेरठ।